तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जारी
24.02.2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/04/25 को पेश हो।	
30/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 13.05.2025 को पेश हो।	
13/05/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.10.2016 बाबत नामान्तरकरण संख्या 342 ग्राम पंचायत गांवड़ी तहसील नीमकाथाना स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.10.2016 बाबत नामान्तरकरण संख्या 342 ग्राम पंचायत गांवड़ी तहसील नीमकाथाना में अंकित तथ्यों को झुठलाते हुए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्जा के खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 8 के पिता/पति स्व. प्रभुदयाल पुत्र मुन्ना ने वादग्रस्त आराजी ख.नं. 187/1 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण का विक्रय जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2013 को अपीलान्ट सं. 1 सुण्डाराम पुत्र श्री श्योलाराम कोम जाट निवासी ढ़ाणी गुमानसिंह की तन नीमकाथाना को बराबर हिस्से अनुसार विक्रय कर दिया था। सुण्डाराम ने स्वयं के हिस्से 1/2 में से रकबा 0.075 है0 भूमि अपीलान्ट सं. 2 को दिनांक 06.11.2013 को एवं शेष बचा रकबा 0.175 है0 अपीलान्ट सं. 3 को दिनांक 20.01.2014 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दिया था। इस प्रकार विक्रय करने के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण मृतक प्रभुदयाल के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S Yadav
Date: 2025.06.03 11:15:41 I
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

विधिक वारिशों को अपने नाम खुलवाने का कोई अधिकार नही था जिस कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 342 ग्राम पंचायत गावड़ी दिनांक 20.10.2016 को खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर सभी पक्षकारों को सुनते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.03 11:15:41 IST
Reason: SelfAttested